नेशनल लोक अदालत बेंच नम्बर–01

किस्म मुकदमा – राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 53/2025

हनजी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सोजत

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	विवरण
08.03.2025	विद्वान वकील प्रार्थी श्री गोविन्द प्रसाद एवं अप्रार्थी की ओर से श्री तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित। पत्रावली नेशनल लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी हनजी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पूर्व में दिनांक 06.03.2025 को लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से निर्णित हो चुका है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुकार होकर दाखित दफ्तर हो। **अध्यक्षः– दिनेश कुमार गढ़वाल** **नेशनल लोक अदालत बेंच नं.01** **(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत, जिला पाली)** सदस्य– दिलीप सिंह, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (नेशनल लोक अदालत बेंच (रेवेन्यू) नं.01) सोजत, जिला–पाली	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मालिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 53 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. हनजी पुत्र दुर्गाराम जाति माली निवासी बेरा खेजड़ा, धन्धेड़ी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: **निर्णय** :— दिनांक —06/03/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव धन्धेड़ी पटवार हल्का मण्डला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है— सम्पति ''ए'' खसरा नंबर 702 से 735 कुल खसरा 34 कुल रकबा 11.4100 हैक्टर सम्पति ''बी'' खसरा नंबर 324 से 330, 338 से 376, 378 से 383 कुल खसरा 52 कुल रकबा 10.2500 है0 सम्पति ''सी'' खसरा नंबर 864 रकबा 0.8800 है0, सम्पति ''डी'' खसरा नंबर 645, 652 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3900 है0 इसी प्रकार सरहद मौजा नाथलकुडी पटवार हल्का मण्डला तह0 सोजत में सम्पति ''ई'' खसरा नंबर 284 रकबा 2.3500 है0 की हैं। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सहवन से बिना सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों का अवलोकन किये प्रार्थी का नाम हनजी के स्थान पर अनाराम, हन्नाराम अंकित कर दिया गया जो कि सद्भाविक रूप से सहवन से दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हनजी अंकित है, जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। राजस्थान राज पत्र साधारण के 13/02/2025 के अंक 46, पेज संख्या 18900 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत शपथ पत्र प्रकाशित किया जा चुका है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी, डी, ई के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम अनाराम, हन्नाराम के स्थान पर हनजी अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा धंधेड़ी व नाथलकुण्डी में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 4 का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जबाव प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 05, 06 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अनाराम, हन्नाराम के स्थान पर हनजी दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 13/02/2025 के अंक 46, पेज संख्या 18900 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम अनाराम, हन्नाराम नहीं होकर हनजी होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज अनाराम, हन्नाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम हनजी दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: **आदेश** :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पति ए, बी, सी, डी, ई के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम अनाराम, हन्नाराम के स्थान पर हनजी दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर सोजत में दिनांक 08.03.2025 को पेश हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)